न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 03/2023
जीसीएमएस नम्बर : 2023/50

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सुखीयादेवी पत्नी तेजसिंह जाति रावत निवासी ग्राम ठरड़ा (चतरा का गुड़ा) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. किशनसिंह पुत्र कानसिंह जाति रावत निवासी ठरड़ा (चतरा का गुड़ा) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत भगोड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भगोड़ा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 06/2023
जीसीएमएस नम्बर : 2023/53

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सुखीयादेवी पत्नी तेजसिंह जाति रावत निवासी ग्राम ठरड़ा (चतरा का गुड़ा) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह जाति रावत निवासी ठरड़ा (चतरा का गुड़ा) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत भगोड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भगोड़ा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 07/2023
जीसीएमएस नम्बर : 2023/54

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सुखीयादेवी पत्नी तेजसिंह जाति रावत निवासी ग्राम ठरड़ा (चतरा का गुड़ा) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. लालसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति रावत निवासी ठरड़ा (चतरा का गुड़ा) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत भगोड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भगोड़ा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 08/2023
जीसीएमएस नम्बर : 2023/55

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सुखीयादेवी पत्नी तेजसिंह जाति रावत निवासी ग्राम ठरड़ा (चतरा का गुड़ा) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. कानसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति रावत निवासी ठरड़ा (चतरा का गुड़ा) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत भगोड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भगोड़ा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

उपस्थिति –

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल पंवार।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 11/12/2024

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित निगरानी याचिकाऐं अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की विषयवस्तु एवं एक समान प्रकृति की होने से उपरोक्त वर्णित समस्त निगरानी याचिकाओं को समेकित कर निर्णय पारित किया जा रहा है। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपरोक्त समस्त निगरानी याचिकाऐं अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भगोड़ा द्वारा संकल्प संख्या 03/15.07.2017 की पालना में अप्रार्थी किशनसिंह पुत्र कानसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 29.11.2017, पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 29.11.2017, लालसिंह पुत्र हजारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 29.11.2017 तथा कानसिंह पुत्र हजारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी याचिकाओं को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। समस्त प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे प्रार्थीया की कृषि भूमि तथा खसरा संख्या 37 गैर मुमकीन नाले की भूमि में जारी किया गया है। गैर मुमकीन नाले व रास्ते की सरकारी भूमि जो प्रार्थीया की कृषि भूमि से चिपते हुये है। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि के बंटवाडे का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन में वाद संख्या 142/2020 विचाराधीन है, जिसमें अप्रार्थीगण बतौर पक्षकार संयोजित है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही नहीं खोला और न ही उक्त पट्टों के सम्बन्ध में कोई मिटिंग की गयी एवं जो मिसल तैयार की गयी है वह भी विधिविरूद्ध तरीके से बनायी गयी है। कानसिंह पूर्व में ग्राम पंचायत भगोड़ा में वार्ड पंच था तथा अपने पद का दूरूपयोग करते हुये कानसिंह ने स्वयं, अपने पुत्रों व अपने भाई के नाम से विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टे बनाये है। जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच व ग्राम सेवक के एक जैसे हस्ताक्षर है, जो एक ही पैन से किये गये है। सभी पट्टो में कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है केवल हितबद्ध साक्षी चिमनसिंह ही दर्ज है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं करते हुये जैर निगरानी पट्टे जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन एवं अनुशीलन किया। जैर निगरानी संकल्प संख्या 03/15.07.2017 की पालना में अप्रार्थी किशनसिंह पुत्र कानसिंह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलैक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 29.11.2017, पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 29.11.2017, लालसिंह पुत्र हजारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 29.11.2017 तथा कानसिंह पुत्र हजारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने मुख्य रूप से कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि एवं गैर मूमकिन नाले की भूमि पर जारी किया गया है, जिसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थीया ने ग्राम चतरा का गुड़ा के खसरा संख्या 37 की जमाबन्दी एवं नक्शा पेश किये, जिसके अनुसार खसरा संख्या 23 जो कि गैर मुमकिन आबादी है जो कि खसरा संख्या 37 की भूमि के चिपते हुये है। अप्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी पट्टा बनाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें जैर भूखण्ड खसरा संख्या 23 आबादी भूमि में होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने कथनों के समर्थन में केवल मात्र जमाबन्दी पेश की है इसके अतिरिक्त अन्य कोई ठोस आधार व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। जमाबन्दी एक राजस्व रेकर्ड है उसके आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि से अन्यत्र बना हो और जहां अप्रार्थी की स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि उक्त भूखण्ड आबादी भूमि में है तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थीया का उक्त उज्र साबित नहीं होने की दशा में खारिज किया जाता है।

जैर निगरानी समस्त याचिकाओं में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये हैं। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरणों में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, उस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है और उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसलों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 06.07.2017, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें प्रार्थना पत्र और नियम 145(3) के तहत भूमि का नक्शा पेश होना तथा नियम 146(2) के तहत मनोनीत तीन वार्ड पंचों द्वारा रिपोर्ट पेश होना अंकित करते हुये आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश जारी किये गये। किन्तु नियम 145(3) के अनुसार सचिव, आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् स्थल नक्शा तैयार करता परन्तु उक्त प्रकरणों में सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित ही नहीं किया गया और पूर्व से तैयार नक्शे, जो कब बनाये गये के सम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन नहीं है, को शामिल किया गया।

इसके पश्चात् नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर नियम 146(2) के तहत तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इन समस्त प्रकरणों में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है क्योंकि आदेशिका दिनांक 06.07.2017 में न तो सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया और किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे भी नामित नहीं किया गया। उसके पश्चात् नियम 147 के तहत अन्तिम विनिश्चत करते और नियम 148 आपत्ति इश्तिहार जारी किया जाता परन्तु हस्तगत प्रकरणों मे नियम 148(2) के तहत अस्थाई निर्णय लिया गया, जो कि विधिविरूद्ध है। साथ ही सम्पूर्ण आदेशिका एक फोटो प्रति है, जिस पर केवल आवदेक का नाम व दिनांक का अंकन किया हुआ है, जो भी आदेशिका की सत्यता पर सन्देह प्रकट करती है। ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी को जैर निगरानी पट्टा जारी किया जबकि राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार – (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल – (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 100/– तथा (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 200/– है जबकि मिसल की आदेशिका दिनांक 15.07.2017 में अंकितानुसार प्रार्थी के बयान के अनुसार प्रार्थी का भूमि पर पुश्तैनी कब्जा है अर्थात् उस भूमि पर अप्रार्थी का पुराना गृह निर्माण नहीं है। उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया है, जो नियमानुसार नहीं है।

हस्तगत प्रकरणों में बयान फार्म निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है जिसमें गवाहों के बयानासाईक्लोस्टाईल में बयानात दर्ज किये गये है तथा बयान कब लिये गये हैं, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। प्रकरणों में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। समस्त प्रकरणों में अप्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित पड़ौस एवं मिसल व गवाहों के बयान में जो पड़ौस अंकित किये है, वह विरोधाभाषी है तथा जो जैर निगरानी पट्टे जारी किये गये है उनमें अंकित चारों दिशाएं भी अप्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित चारों दिशाएं से मिलान नहीं करतें हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को पट्टे देने में पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत भगोड़ा द्वारा संकल्प संख्या 03/15.07.2017 की पालना में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

अप्रार्थी किशनसिंह पुत्र कानसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 29.11.2017, पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 29.11.2017, लालसिंह पुत्र हजारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 29.11.2017 तथा कानसिंह पुत्र हजारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 29.11.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय पृथक–पृथक प्रतियों में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सम्बन्धित निगरानी याचिका में नत्थी किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner